न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 12/2019

1– सुरेश कुमार तोषणिवाल पुत्र रामेश्वर तोषणिवाल जाति माहेश्वरी निवासी सुजानगढ जिला चुरू राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी गोविन्दी तहसील नावां जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास सिंवाल,व श्री मो0 रफीक अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार नावां मुकदमा नम्बर 119/16 (अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956) निर्णय दिनांक 27.01.2017 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी गोविन्दी बनाम सुरेश कुमार अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:15.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 119/2016 बअनुवान पटवारी हल्का गोविन्दी बनाम सुरेश कुमार में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2017 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम राजास के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गौचर भूमि पर नाजायज पश्चातवर्ती कब्जा कर नमक का खारड़ा बना लिया है, जिससे अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा राजास के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा राजास के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 194/– अक्षरे एक सौ चोरानवें रूपये कायम किया गया। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी नांवा को तीन माह सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08.03.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 08.03.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/242 दिनांक 14.03.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है किः–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी गोविन्दी की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जॉच किये एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर जो निर्णय जैर अपील के किया है। अपीलान्ट की युक्तियुक्त तरीके अधीनस्थ अदालत ने तामील नही कराई व उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। उक्त निर्णय कानूनी प्रावधानों के विरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर न तो किसी प्रकार की शहादत या सबूत लेने की आवश्यकता महसूस की, और न ही अपीलान्ट को शहादत या सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका ही दिया, केवल मात्र हल्का पटवारी से शपथ पत्र लेकर निर्णय जैर अपील पारीत कर दिया, जो निर्णय कानूनी व वाकीयाती तौर पर गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि पटवारी गोविन्दी ने अपीलान्ट को हैरान परेशान व खर्चे से जैर बार करने की नियत से राजनैतिक दुर्भावना के ग्रसित होकर खसरा नम्बर 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर मौजा सरहद राजास बाबत गलत रूप से फर्द रिर्पोट पेश की है। जिस रिपोर्ट में स्वयं पटवारी नें अपीलान्ट का मौके पर उपस्थित नहीं होना बताया है। वास्तविकता में अपीलान्ट ने किसी प्रकार से राजकीय सम्पति पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रख है। इसके बावजूद अधीनस्थ अदालत मातहत नें अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत सरसरी कार्यवाही करके बदेखली, अर्थ दण्ड तथा सिविल जेल का आदेश दिया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। अतः निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं

{3}(4) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट लेना की उचित समझ कर जो निर्णय पारित किया है, जो कि प्रकरण की फर्द अहकाम से सुस्पष्ट है।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुन पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया हो अपीलार्थी का कथन है कि तहसीलदार नावां ने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर ख0नं0 294 रकबा 0.97 हैक्टर वाके सरहद राजास पर अपीलान्ट को अतिकमी बताया जाकर अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दण्डित करने का आदेश जारी किया है। जिसकी जानकारी 19.02.2019 को नकल लेने से हुई है। अतः देरी कण्डोन किए जाने योग्य है प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद मानी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी का नोटिस चस्पा होकर प्राप्त होने का अंकन आदेशिका दिनांक 30.12.2016 में है। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस में तामील कुनिन्दा ने यह अंकन किया है:-

"श्रीमान जी आसामी मौजूद नहीं मिला एक प्रति चस्पा अदम तामील रिपोर्ट सेवा में पेश है।"

इस पर तामिल कुनिन्दा के हस्ताक्षर एवं कोई राधा देवी की अंगुठा निशानी ली गयी है। राधा देवी कौन है, कहां की रहने वाली है उसकी पुरी सकुनत अंकित नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.12.16 में अंकन है कि नोटिस चस्पा होकर प्राप्त हुआ पुनः नोटिस जारी हो लेकिन कोई नोटिस जारी नही किया। पत्रावली पर पटवारी हल्का गोविन्दी के बयान का पर्चा भी मौजूद है जिसमें ग्राम राजास के खसरा नम्बर 294 राजस्व रेकर्ड में गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर नमक उत्पादन किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा तहसील हाजा में की गयी है जो ई एक्स-1 है। गत वर्ष भी अतिक्रमी सुरेश कुमार द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी द्वारा की गयी, जिस पर पत्रावली संख्या 124/5 पर निर्णय 5.8.2016 की पालना द्वारा बेदखली की रिपोर्ट मौके पर बेदखल कर कार्यालय हाजा में पेश की जो ई एक्स 2 है। पटवारी हल्का के बयानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कहीं भी ई एक्स-1 एवं ई एक्स-2 अंकित नहीं किए गए है जबकि इसका वर्णन निर्णय दिनांक 27.01.2017 में अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज नं0 6 पर पटवारी हल्का गोविन्दी का मौका पर्चा की फोटो प्रति है जिसमें दिनांक 17.8.2016 को ख0 नं0 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खारड़ा के अतिक्रमी सुरेश कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण की भौतिक बेदखली की रिपोर्ट की हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय का मुकदमा संख्या 119/16 निर्णय दिनांक 27.2.2017 जो अपीलाधीन है में अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी नावां है। निर्णय में अपीलार्थी/अप्रार्थी को बेदखली एवं 3 माह सिविल कारावास की सजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भी दी गयी है। निर्णय उपरान्त तहसीलदार नावां पीठासीन अधिकारी ने अपने पत्रांक 470 दिनांक 10.5.2017 द्वारा पटवारी हल्का गोविन्दी को लिखा है कि–

"आप द्वारा ग्राम राजास के ख0 नं0 294 किस्म गै0मु0 गौचर में सुरेश कुमार पुत्र रमेश बाहम्ण निवासी नांवा ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की थी, उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सिविल कारावास की सजा सुनवाई गयी। उक्त प्रकरण से ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी का यह सही पता नहीं है। अतः आप अप्रार्थी के नये पते की रिपोर्ट पेश करें।"

इसके उपरान्त कई पत्र लिखने के बाद पटवारी हल्का गोविन्दी ने अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 30.01.2019 को लिखा कि उक्त अतिक्रमी का सही पता व पिता का नाम सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति तोषनीवाल निवासी सुजानगढ है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अंकनानुसार एक पक्षीय कार्यवाही हुई है, एवं निर्णय की विधिवत जानकारी नहीं दी गयी है से यह न्यायालय सहमत है। अप्रार्थी के पिता का नाम व जाति ही बाद निर्णय सही प्राप्त करना सिद्ध करता है कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्याालय की आदेशिका दिनांक 30.12.2016 के अनुसार " पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी का नोटिस चस्पा होकर प्राप्त हुआ है। पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.01.2017 को पेश हो।"

इसके बाद आगामी तारीख पेशी को सीधे ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं जारी नही किया गया। अतः अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – अपील अन्दर मियाद शुमार होने से पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया । पटवारी हल्का गोविन्दी ने दिनांक 9.12.2016 को ख0नं0 294 में 0.97 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा नमक निर्माण का पेश किया जिसकी जांच भूअ0नि0 नावां ने की है। इस रिपोर्ट में कही भी राजस्व ग्राम के नाम का उल्लेख नहीं है, फिर भी न्यायालय तहसीलदार नांवा ने मौजा राजास का खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मानते हुए प्रकरण दर्ज किया है। अतिक्रमी का नाम सुरेश कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी नावां मानते हुए एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ बेदखली अर्थदण्ड एवं 3 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.1.2017 में यह कहीं भी अंकन नही किया है कि पूर्व में अतिक्रमी को किस निर्णय के तहत बेदखली के आदेश जारी किए गए थे केवल पटवारी के बयानो के अनुसार ही पटवारी ने पूर्व में फर्द 17.8.2016 अनुसाार मौके से बेदखल किया जाना बताया है। निर्णय दिनांक 27.1.2017 में अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी नावां है जबकि बाद निर्णय सही व्यक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति तोषनीवाल निवासी सुजानगढ पाया गया है जो साबित करता है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी को न तो विधिवत तामील करायी गयी है न ही उचित व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की है। श्री सुरेश कुमार तोषनीवाल ने दिनांकः 15.3.2021 को प्रार्थना-पत्र पेशकर निवेदन किया है कि न्यायालय को स्वयं अपने निर्णय पश्चात जानकारी में आया कि अतिक्रमी का वास्तविक नाम सुरेश कुमार तोषनीवाल है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के अनवान अनुसार ही अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी नावां अंकित किया है एवं तदनुसार ही शपथ पत्र पेश किया है। इस प्रार्थना पत्र अनुसार आदेशिका दिनांक 15.3.2021 द्वारा अपीलान्ट के अनुवान में सुरेशकुमार पत्र श्री रामेश्वर तोषनीवाल स्वीकृत किया गया है।

अपीलान्ट ने दिनांक 15.03.20121 को एक शपथ पत्र भी पेश किया जिसमे बताया कि विवादित भूमि खसरा नं0 294 रकबा 0.97 हैक्टेयर के किसी भी भू भाग पर अपीलान्ट/अप्रार्थी का कोई कब्जा अतिक्रमण आज दिन तक नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण के मामले में सिविल कारावास की सजा दी गयी है जो कठोर सजा मानी जाती है। सिविल कारावास की सजा अतिक्रमी को विधिवत नोटिस जारी कर बाद विधिवत तामील पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होने पर ही दी जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार तोषनीवाल निवासी सुजानगढ को विधिवत तामील ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नहीं हुई है एवं न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है उसकी पीठ पीछे किसी दूसरे व्यक्ति (श्री सुरेश कुमार ब्राहम्ण निवासी नांवा) को सजा दी गयी है जो पीठासीन अधिकारी की घोर लापरवांही का द्योतक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2017 को अपास्त किया जाना तथा प्रकरण को उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 12/2019 सरकार बनाम सुरेश कुमार में अपीलान्ट अप्रार्थी को समुचित तामील नहीं करवाने व सुनवाई का अवसर दिये जाने के अभाव में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.01.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर एक माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2021 को पेश हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)